

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या -01 वर्ष 2018) के अनुक्रम में विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है। उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थल	नव तैनाती स्थल	स्थानान्तरण औचित्य
1	श्रीमती सीमा राय	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म मुलदासपुर जिला हरिद्वार	राजकीय रेशम फार्म श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 7(क) के तहत
2	श्री मनीष सती	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म नन्दप्रयाग जिला चमोली	राजकीय रेशम फार्म आदूवाला जिला देहरादून	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 10 (क) के तहत
3	श्री अभिषेक	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म पनियाली जिला हल्द्वानी नैनीताल	राजकीय रेशम फार्म भुड्डी जिला देहरादून	स्वयं के अनुरोध पर
4	श्री अरविन्द सिंह रावत	प्रदर्शक (रेशम)	राजकीय रेशम फार्म नाथूनगर जिला हल्द्वानी नैनीताल	राजकीय रेशम फार्म कण्डियालगांव जिला उत्तरकाशी	स्वयं के अनुरोध पर
5	श्री फूल चन्द	माली	राजकीय रेशम फार्म लामाचौड़ जिला हल्द्वानी नैनीताल	राजकीय रेशम फार्म सहसपुर जिला देहरादून	वरिष्ठ कार्मिक है। स्वयं के अनुरोध पर एवं स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(2) (ख) के तहत चतुर्थ श्रेणी कार्मिक होने के कारण गृह जनपद देहरादून में किया जाना है।

- सम्बन्धित कार्मिकों को एक्ट की धारा 22 (2) के तहत नव तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में आदेश के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरुद्ध एक्ट की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सम्बन्धित कार्मिकों के नियन्त्रक अधिकारियों /केन्द्र प्रभारी एक्ट की धारा 22 (1) के तहत आदेश जारी होने के दिनांक/ एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर नव तैनाती स्थल हेतु कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, यदि किसी अधिकारी/केन्द्र प्रभारी द्वारा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सम्बन्धित कार्मिकों का माह जुलाई 2022 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड
प्रेमनगर- देहरादून।


रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड प्रेमनगर - देहरादून ।

पत्रांक 622-6 /स्था0-स्थाना0/2022-23

दिनांक 08 जुलाई 2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सम्बन्धित कर्मचारी ।
2. मुख्य कोषाधिकारी साईबर ट्रेजरी 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी श्रीनगर गढवाल/हल्द्वानी-नैनीताल/गोपेश्वर-चमोली ।
4. संयुक्त निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून ।
5. उपनिदेशक (रेशम) हल्द्वानी-नैनीताल/ श्रीनगर पौडी गढवाल ।
6. सहायक निदेशक (रेशम) देहरादून/हरिद्वार/गोपेश्वर - चमोली ।
7. निरीक्षक (रेशम) बट्टीपुर /नयांगाव/सहसपुर देहरादून ।
8. अपर सचिव, उद्यान एवं रेशम उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
9. स्थानान्तरण पत्रावली हेतु ।


निदेशक

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड
प्रेमनगर - देहरादून ।